अति–आवश्यक
स्मरण पत्र–4

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27 (36) ग्रावि/अनु–5/जीकेएन/बीएसआर./प्रगति/ 2015–16 जयपुर, दिनांक 21 मार्च, 2016

अधिशाषी अभियन्ता, (अभि.) एवं
सदस्य सचिव, जिला दर निर्णायक समिति,
जिला परिषद् समस्त राजस्थान।
(बारां, भीलवाडा, बुन्दी, चित्तौड़गढ़, चुरू, डूँगरपुर,
हनुमानगढ़, जयपुर, करौली, सीकर, व सिरोही को छोडकर)

विषयः–वर्ष 2016–17 की पंचायत समिति स्तरीय दर अनुसूची (बीएसआर) हेतु बेसिक दरों का निर्धारण एवं दर अनुसूची का अनुमोदन के सम्बंध मे।

प्रसंगः–विभागीय परिपत्र दिनांक 9.10.2015, पत्रांक पं. 27 (83) ग्राविवि/ अनु–5/ जीकेएन/ बीएसआर / बेसिक दर तुलना/ 2015–16 दिनांक 12.01.2016, 27.01.2016, 25.02.2016 एवं 05.03.2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्ष 2016–17 की पंचायत समिति स्तरीय दर अनुसूची (बीएसआर) हेतु बेसिक दरों का निर्धारण एवं दर अनुसूची का अनुमोदन दिनांक 15.03.2016 तक आवश्यक रूप से कराने हेतु प्रासंगिक पत्र द्वारा निर्देशित किया गया था। सॉफ्टवेयर से बीएसआर सृजन की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि आज दिनांक तक मात्र 11 जिलो की 94 पंचायत समितियों की दर अनुसूची का अनुमोदन हुआ है। इसे शासन सचिव महोदय द्वारा गंभीरता से लिया गया। कुछ पंचायत समितियों में दर सर्वेक्षण एवं दर प्रस्तावक समिति की बैठक तिथि का इन्द्राज होना भी अभी शेष है। (प्रगति सलंग्न)।

इस सम्बंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि पंचायत समिति स्तर से प्रस्तावित दर एवं दर सर्वेक्षण एवं दर प्रस्तावक समिति की बैठक दिनांक का इन्द्राज दिनांक 31.03.2016 तक बीएसआर साफ्ट में आवश्यक रूप से कर दिया जावें। इसके पश्चात बीएसआर सॉफ्ट में इस आप्सन को लॉक कर दिया जावेगा।

आपसे पुनः अनुरोध है कि वर्ष 2016–17 की पंचायत समिति स्तरीय दर अनुसूची (बीएसआर) हेतु सुसंगत बेसिक दरों का निर्धारण एवं दर अनुसूची का अनुमोदन की कार्यवाही दिनांक 31.03.2016 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करावें। इसके साथ ही किसी भी पंचायत समिति की दर प्रस्तावित/अनुमोदन नही होने के लिये सम्बंधित सहायक/अधिशाषी अभियंता, एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद उत्तरदायी होगें एवं नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

संलग्नः उपरोक्तनुसार।

(के. के. शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता ग्रावि,

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
2 जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला दर निर्णायक समिति, जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) समस्त राजस्थान (बारां, भीलवाडा, बुन्दी, चित्तौड़गढ़, चुरू, डूँगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, करौली, सीकर व सिरोही को छोडकर)।
3 मुख्य कार्यकारी अधिकारी(ग्रा.वि.प्र.), जिला परिषद समस्त राजस्थान (बारां, भीलवाडा, बुन्दी, चित्तौड़गढ़, चुरू, डूँगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, करौली, सीकर व सिरोही को छोडकर)।
4 परियोजना निदेशक एवंद पदेन उप सचिव (मो एवं मु), को वेब साइड पर अभियांत्रिकी एवं बेसिक शिड्यूल ऑफ् रेट्स दोनो वर्गो में अपलोड कराने हेतु।
5 रक्षित पत्रावली।

अधीक्षण अभियन्ता ग्रावि,